न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

श्री उकाराम पुत्र भीमाजी, जाति- सुआरा, निवासी- बरलुट, तह. सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला- सिरोही

राजस्व अपील संख्याः 48/2018

''अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956''

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री कलीम अव्वल, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 05 नवम्बर, 2018

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्याः 08/2018 में पारित निर्णय दिनांक 31.5.2018 बाबत ग्राम बरलुट के खसरा संख्या 933 रकबा 0.0160 हेक्टेयर किस्म गै.मु. भूमि का अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध पेश की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी की ओर से अपील की सुनवाई के दौरान पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को विवादित भूमि का अतिक्रमी मानने में कानूनन भूल की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नही किया कि खसरा संख्या 933 की जिस भूमि पर अपीलार्थी का अतिक्रमण होना बताया गया है वह भूमि वर्तमान में राजस्व भूमि नही होकर ग्राम पंचायत की आबादी भूमि है, जिसमें गैरसायल के पुराने पुश्तैनी कब्जे भोगवटे का एक भूखण्ड आया हुआ है जिस पर अपीलार्थी के बाप दादाओं के समय मकान बना हुआ है। जिसके चारों की भूमि के ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा अन्य व्यक्तियों के पक्ष में आवासीय पट्टे जारी किये गये है। विवादित भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि होने से आबादी भूमि पर कार्यवाही करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलार्थी विवादित भूमि का अतिक्रमी नही है, बल्कि अपीलार्थी पट्टेशुदा आबादी भूमि

.....दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पर काबिज है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी व्यक्त किया कि हल्का पटवारी, बरलुट द्वारा पूर्व में भी अपीलार्थी के पडौसी श्री मोतीसिंह पुत्र श्री समरथ सिंह राजपूत के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में विवादित भूमि (जिसके पुराने खसरा संख्या 767 है) पर अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसके आधार पर श्री मोतीसिंह के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाकर बेदखली आदेश पारित किया गया था। जिसके विरुद्ध श्री मोतीसिंह द्वारा राजस्व अपील अधिकारी, पाली के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई थी। जिसमें माननीय राजस्व अपील अधिकारी, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.7.2003 के द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.12.2002 व 06.7.2002 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ नायब तहसीलदार, सिरोही को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि विवादित भूमि की पैमाईश करके नये सिरे से निर्णय पारित करे। जिसकी पालना में नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा राजस्व रेकर्ड की जांच करके एवं मौके की पैमाईश करवाके बाद जांच प्रकरण संख्या 2/2002 में पारित निर्णय दिनांक 22.10.2003 के द्वारा श्री मोतीसिंह का कब्जा पट्टेशुदा आबादी भूमि (जिसके पुराने खसरा संख्या 767 एवं वर्तमान खसरा संख्या 933 है) में होना मानते हुए धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही ड्रॉप की गई थी। अधीनस्थ तहसीलदार, सिरोही द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सिरोही (सहायक कलेक्टर, सिरोही) के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 1/2016 अर्न्तगत धारा 36 एल.आर.एक्ट में प्रस्तुत जवाब से भी यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजस्व भूमि नही होकर आबादी भूमि है। उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को विवादित भूमि का अतिक्रमी मानने में भूल की है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.5.2018 को निरस्त किया जावे। जबकि पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि हल्का पटवारी, बरलुट द्वारा संवत 2074 में अपीलार्थी के विरुद्ध विवादित भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही में अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया तथा अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए बाद जांच विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है, इसलिये अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि हल्का पंटवारी, बरलुट द्वारा संवत 2074 में अपीलार्थी के विरुद्ध ग्राम बरलुट के खसरा संख्या 933 रकबा 0.0160 किस्म गै.मु. भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा करने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही में प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी की ओर से लिखित जवाब व दस्तावेज भी प्रस्तुत हुये। अपीलार्थी पक्ष का यह कथन है कि ''हल्का पटवारी, बरलुट द्वारा पूर्व में भी अपीलार्थी के पडौसी श्री मोतीसिंह पुत्र श्री समरथ सिंह राजपूत के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में विवादित भूमि (जिसके पुराने

....तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

खसरा संख्या 767 है) पर अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसके आधार पर श्री मोतीसिंह के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाकर बेदखली आदेश पारित किया गया था। जिसके विरुद्ध श्री मोतीसिंह द्वारा राजस्व अपील अधिकारी, पाली के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई थी। जिसमें माननीय राजस्व अपील अधिकारी, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.7.2003 के द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.12.2002 व 06.7.2002 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ नायब तहसीलदार, सिरोही को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि विवादित भूमि की पैमाईश करके नये सिरे से निर्णय पारित करे। जिसकी पालना में नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा राजस्व रेकर्ड की जांच करके एवं मौके की पैमाईश करवाके बाद जांच प्रकरण संख्या 2/2002 में पारित निर्णय दिनांक 22.10.2003 के द्वारा श्री मोतीसिंह का कब्जा पट्टेशुदा आबादी भूमि (जिसके पुराने खसरा संख्या 767 एवं वर्तमान खसरा संख्या 933 है) में होना मानते हुए धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही ड्रॉप की गई थी।

अपीलार्थी का यह भी कथन है कि ''अपीलार्थी राजस्व भूमि पर काबिज नही होकर ग्राम पंचायत, बरलुट की आबादी भूमि में काबिज है जिसके चारों ओर की भूमि के अन्य व्यक्तियों को ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा पट्टे जारी किये गये है।'' ऐसी स्थिति में, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि की पैमाईश करवाकर विधि सम्मत निर्णय पारित करना चाहिये था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि की पैमाईश करवाये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है।

अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही द्वारा अपीलार्थी को विवादित भूमि से बेदखल करने के पारित आदेश दिनांक 31.5.2018 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित भूमि की पैमाईश करवाकर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही